सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 272 राँची, बुधवार, 6 ज्येष्ठ, 1948 (श०) / 27 मई, 2026 (ई०)

## महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

---

संकल्प

9 अक्टूबर, 2024

**विषय:- विभागाधीन अतिरिक्त आँगनबाड़ी सेविका-सह-पोषण परामर्शी (पोषण सखी) के पुनर्बहाली संबंधी निर्गत संकल्प सं०-2103, दिनांक-30.08.2024 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति।**

**ज्ञापांक :- 05/म०बा०/पोषण सखी चयन-574/2015-2530--**विभागीय संकल्प सं०-2103, दिनांक-30.08.2024 के माध्यम से विभागाधीन पूर्व में कार्यरत अतिरिक्त आँगनबाड़ी सेविका-सह-पोषण परामर्शी (पोषण सखी) के पुनर्बहाली की स्वीकृति प्रदान की गई है।

**2.** उक्त संकल्प के निम्न कंडिकाओं में प्रावधानित है कि:-

I. कंडिका-10 (i) - वित्तीय वर्ष-2022-23 तक नियमसम्मत रूप से चयनित एवं उक्त वित्तीय वर्ष-2022-23 में कार्यरत अतिरिक्त आँगनबाड़ी सेविका-सह-पोषण परामर्शी (पोषण सखी) को पुनर्बहाल किया जायेगा। पोषण सखियों के रिक्त पदों पर नवीन चयन नहीं की जायेगी;

II. कंडिका-10 (ii) B - उक्त समिति द्वारा पुनर्बहाली हेतु कार्यरत रही पोषण सखी की सूची प्रारूपित की जायेगी जिसमें:-

क) वित्तीय वर्ष-2022-23 तक नियमसम्मत रूप से चयनित ;

ख) वित्तीय वर्ष-2022-23 में कार्यरत ;

ग) पुनर्बहाली (निर्धारित शर्त्तों के तहत्) हेतु इच्छुक, स्वस्थ तथा 60 वर्ष से कम आयु की उक्त कंडिका-ख में वर्णित पोषण सखी ;

घ) आवश्यक अन्य शर्त्तो, जैसा उक्त समिति उचित समझे ;

- आधारित तथ्य एवं सूचनाएँ सन्निहित होंगे।

**3.** उल्लेखनीय है कि विभागीय संकल्पांक-720, दिनांक-24.03.2022 द्वारा इन अतिरिक्त आँगनबाड़ी सेविका-सह-पोषण परामर्शी (पोषण सखी) सेवा दिनांक-01.04.2022 के प्रभाव से समाप्त की गई थी। अर्थात आँगनबाड़ी सेविका-सह-पोषण परामर्शी (पोषण सखी) वित्तीय वर्ष-2021-22 तक की अवधि में ही कार्यरत रहीं थी अतएव उक्त विभागीय संकल्प सं०-2103, दिनांक-30.08.2024 के कंडिका- 10 (i) तथा कंडिका-10 (ii) B में अंकित त्रुटिपूर्ण अवधि वित्तीय वर्ष-2022-23 में संशोधन कर वित्तीय वर्ष-2021-22 का प्रावधान किया जाना आवश्यक है ।

**4.** वर्णित परिप्रेक्ष्य में विभागीय संकल्प सं०-2103, दिनांक-30.08.2024 के कंडिका-10 (i) तथा कंडिका-10 (ii) B को निम्नवत् प्रतिस्थापित की जाती है-

I. कंडिका-10 (i) - वित्तीय वर्ष-2021-22 तक नियमसम्मत रूप से चयनित एवं उक्त वित्तीय वर्ष-2021-22 में कार्यरत अतिरिक्त आँगनबाड़ी सेविका-सह-पोषण परामर्शी (पोषण सखी) को पुनर्बहाल किया जायेगा। पोषण सखियों के रिक्त पदों पर नवीन चयन नहीं की जायेगी;

II. कंडिका-10 (ii) B - उक्त समिति द्वारा पुनर्बहाली हेतु कार्यरत रही पोषण सखी की सूची प्रारूपित की जायेगी जिसमें:-

क) वित्तीय वर्ष-2021-22 तक नियमसम्मत रूप से चयनित ;

ख) वित्तीय वर्ष-2021-22 में कार्यरत ;

ग) पुनर्बहाली (निर्धारित शर्त्तों के तहत्) हेतु इच्छुक, स्वस्थ तथा 60 वर्ष से कम आयु की उक्त कंडिका-ख में वर्णित पोषण सखी ;

घ) आवश्यक अन्य शर्त्तो, जैसा उक्त समिति उचित समझे ;

- आधारित तथ्य एवं सूचनाएँ सन्निहित होंगे।

**5.** एतद् संबंधी पूर्व निर्गत विभागीय संकल्प सं०-2103, दिनांक-30.08.2024 इस हद तक संशोधित होंगे ।

**6.** एतद् संशोधन दिनांक-30.08.2024 की तिथि से प्रभावी होंगे ।

**7.** विभागीय संकल्प सं०-2103, दिनांक-30.08.2024 के कंडिका-10 (iv)तथा 10 (v)के प्रावधानित शर्तों के अंश यथा-

" इन कर्मियों को पुनर्बहाली उपरांत योगदान की तिथि से मानदेय भुगतान किया जायेगा एवं दिनांक-01.04.2022 से इस योगदान की तिथि के मध्य की अवधि के मानदेय संबंधी किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।

इन कर्मियों को विभागीय संकल्पांक-2126, दिनांक-21.09.2015, संकल्पांक-2620, दिनांक-03.12.2015 तथा एतद् अनुक्रमण में दिनांक-24.03.2022 के पूर्व निर्गत राज्य सरकार के विभिन्न आदेशों द्वारा निर्धारित पूर्व प्रदत्त सुविधाएँ प्रदत्त होंगी। "

-के दृष्टिगत् स्पष्ट है कि उपर्युक्त स्वीकृति से राज्य कोष पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। उपर्युक्त स्वीकृति से विभागीय संकल्प सं०-2103, दिनांक-30.08.2024 के मूल अवधारणा/उद्देश्य अप्रभावित रहेंगे।

**8.** एतद् पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक-08.10.2024 को सम्पन्न बैठक की मद संख्या-47 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**मनोज कुमार,**
सरकार के सचिव

---

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 272 - 50